Witness No 16 **for** अभियोजन साक्षी **Deposition taken**

the 08.03.2019 **day of** **Witness's apparent age** 35 वर्ष

States on affirmation शपथ पूर्वक **my name is** नरेन्द्र कुमार बंजारा

son of श्री बंशीलाल बंजारा **occupation** तहसीलदार

address तहसील कार्यालय, आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.)

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री जे.के.अग्रवाल अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

01. मै दिनांक 03.11.2017 को अतिरिक्त तहसीलदार/कार्यपालक दण्डाधिकारी के पद पर तहसील कार्यालय रायपुर में पदस्थ था। तब उक्त तिथि को थाना प्रभारी आजाद चौक द्वारा संदेही योगेश उर्फ चंद्रशेखर एवं विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक प्रींस उर्फ राहुल की शिनाख्ती करवाने हेतु आवेदन के साथ दोनों को लेकर आने पर मैने तहसील कार्यालय में शिनाख्ती कार्यवाही किया था।

02. उक्त दोनों के समान उंचाई एवं कद काठी के चार अन्य व्यक्ति अर्जुन, मोहन, विराज, प्रदीप को शामिल कर उनके चेहरे को छोड़कर शरीर के अन्य हिस्से को कपड़ा से ढंककर लाईन से खड़ाकर पहचान प्रार्थी सोनूदास मानिकपुरी पिता सुखदास से गवाह अजय एवं मदन सिंह के समक्ष करवाया था। प्रार्थी ने संदेही योगेश उर्फ चंद्रशेखर एवं विधि विरूद्ध संघर्षरत किशोर प्रींस के सिर पर हाथ रखकर दोनों की पहचान किया था। शिनाख्ती प्रपत्र प्रपी–2 मैने तैयार किया था, जिसके द से द भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए0के0सेन अधिवक्ता वास्ते आरोपी

03. मै आज नहीं बता सकता कि शिनाख्ती हेतु थाना प्रभारी का तहरीर मुझे कितने बजे प्राप्त हुआ था। तहरीर मुझे मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ था। यह कहना सहीं है कि संदेहियों के साथ मिलाये गये चारों व्यक्तियों को मै पूर्व से नहीं जानता था। सहीं है कि तहरीर में संदेहियों का हुलिया उल्लेखित नहीं था। यह कहना सहीं है कि संदेहियों के साथ मिलाये गये सभी व्यक्ति आमापारा के निवासी है। यह कहना गलत है कि संदेहियों के साथ मिलाये गये चारों व्यक्तियों को पुलिसवाले अपने साथ लाये थे। स्वतः कहा कि हमारे कार्यालय के लिपिक को निर्देशित करने पर उन्होंने एकत्रित किया था। यह कहना

सहीं है कि प्रपी–2 में संदेहियों के साथ मिलाये गये चारों व्यक्तियों की कद–काठी का माप मान नहीं लिखी है।

04. यह कहना सहीं है कि संदेही योगेश उर्फ चंद्रशेखर एवं विधि विरूद्ध संघर्षरत बालक प्रींस उर्फ राहुल पुलिसवाले लेकर आये थे। यह कहना सहीं है कि प्रार्थी सोनूदास को भी पुलिसवाले अपने साथ लेकर आये थे, मैने नोटिस देकर नहीं बुलाया था। यह कहना गलत है कि संदेहियों को और प्रार्थी को एक ही गाड़ी में पुलिसवाले लाये थे। यह कहना गलत है कि संदेहियों को पुलिसवाले हथकड़ी में लाये थे। पहचान हेतु संदेहियों को पहले लाया गया था और बाद में प्रार्थी को लाया गया था।

05. जिस कमरे में मेरे द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही की गई थी उस रूम की साईज क्या थी मै आज नहीं बता सकता। सहीं है कि प्रार्थी ने संदेहियों को क्या संबोधित कर या क्या कहकर पहचान किया था, इसका उल्लेख उक्त कॉलम में नहीं है। यह कहना सहीं है कि संदेहियों एवं प्रार्थी को पुलिसवाले पूर्व से मेल–मिलाप करवा दिये रहे होंगे तो मै नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि पुलिसवाले तीनों को एक साथ लाये थे और यह मेरी जानकारी में था किन्तु मै आज सहीं बात नहीं बता रहा हूं। यह कहना गलत है कि मैने पुलिसवालों के कहने पर प्रपी–2 का दस्तावेज तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा कोई पहचान कार्यवाही नहीं की गई थी।

समय : 03:40 से 04:15 बजे

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही/–

राजेन्द्र कुमार वर्मा
अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर .....**सही/–**.....